राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–6)

क्रमांक–एफ 4(2)ग्रावि/अनु.–6/मेवात प्रस्ताव/2022/2660–66 जयपुर, दिनांक– 04 JAN 2023

–: बैठक कार्यवाही विवरण :–

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कक्ष में दिनांक 13.12.2022 मेवात क्षेत्रीय विकास योजना की प्रगति समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित द्वारा भाग लिया गया।

1. अध्यक्ष मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. शासन सचिव ग्रामीण विकास
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एसएपी)
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् अलवर एवं भरतपुर (वीसी के माध्यम से)

सर्वप्रथम अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ने योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि के समायोजन के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अलवर एवं भरतपुर से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अलवर द्वारा अवगत करवाया गया कि लगभग 12 करोड़ के कार्यों का समायोजन कर दिया गया है, इस पर शासन सचिव महोदया ने निर्देश प्रदान किये गए कि समायोजन की प्रगति ई – वर्क पोर्टल पर दर्ज की जाये। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भरतपुर द्वारा अवगत करवाया गया कि अभी तक 776.61 लाख के विरुद्ध इस वित्तीय वर्ष में रूपये 41.00 लाख का समायोजन किया जा चुका है। दोनों जिलों की अब तक के समायोजन की प्रगति पर अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ने असंतोष जाहिर किया तथा 30 दिसंबर, 2022 तक विशेष प्रयास कर उपलब्ध राशि का कम से कम 60 प्रतिशत समायोजन कर प्रगति ई वर्क पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये।

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के वार्षिक कार्ययोजना के सम्बन्ध में चर्चा के दौरान शासन सचिव महोदया ने अवगत करवाया कि जिलों से प्राप्त प्रस्ताव में बहुत छोटी छोटी राशि के कार्य शामिल किये गए जो अन्य योजनाओं में भी करवाए जा सकते है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि विद्यालयों में कक्षा कक्ष निर्माण व बरामदा निर्माण एवं चारदीवारी निर्माण, श्मशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी एवं शादीपुर – आदीपुर ग्रेवल सड़क कार्य को अनुमोदित किया जाकर स्वीकृति हेतु जिलों को लिखा जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने निर्देश प्रदान किये कि मेवात योजना का उद्देश्य इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप को पूरा करना है। अतः योजनान्तर्गत उन कार्यो को शामिल किया जाए जो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं से नही करवाए जा सकते । इस सम्बन्ध में मा. अध्यक्ष महोदय ने विद्यालयों में कक्षा कक्ष / पुस्तकाल भवन /प्रयोगशाला कक्ष निर्माण एवं अन्य जनोपयोगी एवं स्थाई प्रकृति के कार्यो के प्रस्ताव मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप जिला कलेक्टर्स से मंगवाने के लिए निर्देशित किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि मेवात आवासीय छात्रावासों में क्षमता 50 से बढ़ाकर 100 छात्र/छात्राओं की कर दी गई। अतः इन छात्रावासों में योजना से आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने की आवश्यकता बताई जिस पर शासन सचिव महोदया ने परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि राज्य परियोजना प्रबन्धक समसा को पत्र लिख इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना प्राप्त करे।

शासन सचिव महोदया, ग्रावि द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति के साथ बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(ओमकारेश्वर शर्मा)
परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (एसएपी)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय अध्यक्ष, मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव– ग्रा.वि. एवं पंरा ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव–ग्रामीण विकास विभाग।
4. जिला कलक्टर, अलवर एवं भरतपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अलवर एवं भरतपुर।
6. उप निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (एसएपी)